INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारत में महिलाओ की उन्नति और संरक्षण के लिये गठित तंत्र

डॉ. सुनीता डॉ. राजेश मारकण्डेय

प्रस्तावना– महिलाओ की स्थिति को असुरछित एवं हाशिये पर दिखाने वाले प्रमुख कारक पहचाने गए है। भारत की पितृसतात्मक परंपराएँ दहेज प्रथा लडकी को बोमुसममुना कन्या भ्रुण हत्या बालिका शिशु हत्या बाल विवाह बालिका शिशु का शारीरिक शोषण बालिक शिशु का दुरूपयोग सेक्स वर्कर तथा दुव्यवहार से पिडित महिलाएँ घरेलू महिला श्रमिक अकेली माता विधवाओ और किशोरियो के प्रति हिसा तेजाब हमले से पीडित महिलाएँ तथा ऑनर किलिंग कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन व असमान वेतन रक्ताहपात से पीडित महिलाएँ और कुपोशित बालिकाएँ वर्तमान समय मे सेरोगेसी से जुडी महिलाओ के मुददे महिलाओ की उन्नति एवं संरक्षण हेतु संवधानिक प्रावधन भारतीय संवीधन मे मौलिक अधिकारो मौलिक कर्तव्यो तथा नीति निर्देशक सिध्दान्तो को प्रतिठापित किया गया है

संवैधािनिक विशेषधिकार

- विधि के समय अनुच्छेद 14
- राज्य किसी नागरिक के विरूध्द केवल धर्म मुलवंश जाति लिंग जन्मस्थान या इनमे से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा अनुच्छेद 15
- राज्य महिलाओ एवं बच्चो के पक्ष मे विशेष प्रावधान कर सकता है अनुच्छेद 15(3)
- राज्य के अधिन किसी पद पर नियोजन व नियुक्ति से सबंधित विषयो मे सभी नागरिक के लिए अवसर की समता होगी अनुच्छेद 16
- पुरूष और स्त्री सभी नागरिको समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो अनुच्छेद 39
- आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता से पिडित नागरिको लिए निशुल्का विधिक सहायता की व्यवस्था अनुच्छेद 39 (क)
- राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओ को सुनिश्चित करने के लिए और प्रस्तुति सहायता के लिए उपबंध करेगा अनुच्छेद 39 (क)
- राज्य जनता के दुर्लब वर्गोके विशिष्टता अनुसुचित जातियो और जनजातियाँ के शिक्षा तथा अर्थ संबंन्धी हितो की विशेष सावधानी से अभिवृदि करेगा अनुच्छेद 46
- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उँचा करने तथा लोक स्वास्थय का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47
- भारत का प्रत्येक नागरिक ऐसी प्रथाओ का त्याग करें जो स्त्रियो के सम्मान के विरूध्द है अनुच्छेद 51 का (ड)

- प्रत्येक पंचायत मं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियो के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रो की चक्रानुकम से आवंटित किये जा सकेंगे अनुच्छेद 243 घ (3)
- पंचायत में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद पर स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे अनुच्छेद 243 घ (4)
- प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरें जाने वाले स्थानो की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियो के लिये आरक्षित रहेंगें अनुच्छेद 43 न (3)
- नगर पालिकाओं में अध्यक्षो के पद अनुसुचित जातियों जन जातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान अनुच्छेद 243 न (4)

महिलाओ के अधिकारो की सुरक्षा के लिए कानून एवं विधायन

विशाखा दिशा निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन को रोकने से संबंधित हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के सुरछित एंव स्वस्थ वातावरण में काम करने का अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ नियम तय किए थे तथा प्रत्येक नियोक्ता के लिए वह अपरिहार्य बना दिया कि वह महिलओं को सुरक्षित एवं उत्पीडन रहित कार्य का वातावरण उपलब्ध कराए यौन उत्पीडन के कारण महिलाओं के भारतीय संविधान मे उल्लेखित अनुच्छेद 14 और 15 के मौलिक अधिकारो के साथ साथ अनुच्छेद 21 में वर्णित गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लघन होता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

- यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ तथा यह महिलाओं को घरेलू हिसां से संरक्षण प्रदान करता है।
- अधिनियम महिला को घर परिवार में किसी महिला पुरूष गैर वयस्कों द्वारा की गई घरेलु हिंसा से या उसकी संभावना से संरक्षण प्रदान करता है गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व के वयस्क पुरूष शब्द को हटाकर इस कानुन का दायरा विस्तारित कर दिया है । यानी किसी महिला के साथ हिंसा या उत्पीडन के मामले में महिलाओं तथा गैर वयस्को पर भी अभियोजन चलाया जा सकेगा।
- यह अधिनियम पीडित महिला के लिये आवश्यक कई उपयों जैसे संरक्षण आश्रय बच्चो की अभिरक्षा चिकित्सा सुविधा कानूनी सहायता क्षतिपुर्ति सम्पत्ति की वापसी एवं मौद्रिक राहत का प्रावधन करता है कार्य स्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीडन रोकथाम प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 2013

कार्यबल में महिलाओ की बढती सहभागिता ने यह अनिवार्य है कि यौन उत्पीडन को रोकने के लिये व्यापक कानून बनाने के साथ साथ इसके समाधन तेज का भी प्रावधन किया जाना चाहियों

- यह अधिनियम विशाखा मामले में दी गई परिभाषा के मददे नजर कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन का व्यापक परीप्रेक्ष्य में वर्णन करता है तथा इसके द्वारा संरक्षण पाने वाली पीडित महिला की परीभाषा को अत्यधिक विस्तृत किया गया है। साथ ही यह कार्य स्थलों को पारंपरिक ठाँचे से बाहर विस्तृत रूप मे रेखांकित करता हैं ।
- ऐसा संगठन जिसमे 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं उन्हे एक 4 सदस्यीय आतंरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है साथ ही यह 5 सदस्यीय संसदीय स्थानीय शिकायत समिती का गठन भी करना होगा ।
- यौन उत्पीडन की शिकायत 3 महीने की समय सीमा में दर्ज की जा सकती है। समिती के लिये 90 दिनो के अंदर जाँच पुरी करना अनिवार्य होगा फिर समिती जाँच के बाद रिपोट नियोक्ता या जिला अधिकारी के पास भेजेगी जिसे 60 दिनो के रिपोर्ट पर कारवाई करनी होगी ।
- नियोक्ता द्वारा अपने कर्तव्यो के उल्लघन की स्थिति मे इस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है । दुभावना पुर्ण या मिथ्य शिकायतो के मामलों में सेवा शर्त कानूनों के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया हैं

शी बॉक्स

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कामकाजी महिलाओ के लिये कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन की शिकायत दर्ज करवाने के लिये व्यापक शी बॉक्स आनलाईन शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूवात की गई है इससे कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा ।

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन करता है । इस अधिनियम के द्वारा मातृत्व अवकाश की अवधि और अन्य सुविधाओं से संबंदित प्रावधनों मे संसोधन किया गया है जो निम्न है

- यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी सस्थानो पर लागू होता है।
- इसके तहत प्रत्येक महिला 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार होगी ।
- अधिनियम के तहत इस मातृत्व लाभ का उपयोग प्रसव की अपेक्षित तारीख से 8 सप्ताह से पहले नही किया जाना चाहिये
- किसी महिला के दो बच्चे होने की स्तिथि में मातृत्व लाभ 12 सप्ताह दिया जाना जरूरी होगा।

- इसके अनुसार नियोक्ता अवकाश अवधि के दौरान घर से काम करने के लिये किसी महिला की अनुमति दे सकता है।
- मातृत अवकाश के दौरान महिलाओं को वेतन भी मिलेगा और 3000 का मातृत्व बोनस भी मिलेगा
- हाल के केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने निर्णय लिया है कि महिला सरकारी कर्मचारियो को सरोगेसी के अंतगर्त भी मातृत अवकाश का लाभ मिलेगा महिला अधिकारो की निगरानी के लिये एंजेसियाँ

सस्थाँए एवं योजनाएँ

(1) राष्ट्रीय महिला आयोग

महिलाओं के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अतंर्गत वर्ष 1992 में सांविधिक निकाय के रूप मे महिलाओ के लिये संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करने के सुधार की सुविधा एवं महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी बीतीगत तथ्योंपर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से की गई ।

(2) राष्टोय महिला कोष

राष्ट्रीय महिला कोष (त्डझ) की स्थापना वर्ष 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य बैकिंग सेक्टर को विस्थापित करना नही बल्की गरीबो और बैकिंग क्षेत्र के बीच के अंतराल को कम करना है

(3) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड

इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में महिलाओं के कल्याण विकास और सशक्तिकरण के लिये स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्ति करना इसकी स्थापना वर्ष 1953 से कि गई थी ।

संदर्भ ग्रंथ सुची

(1) दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे जुलाई 2024 सितम्बर 2024

(2) डाँ. बी. एल. फडिया भारत का सविधान साहित्य भवन आगरा 2016

(3) डाँ. बी. आर अम्बेडकर भारत का सविधान सुधीर गवली सुधीर प्रकाशन वर्धा 2019

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

RSEARCH GATEWAY

AROGYAM ONLINE

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM